ईसाई शादी
सम्पत्ति का अधिकार

प्रकाशक
'न्याय सदन'
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची

ईसाई शादी

प्रकाशक :

'न्याय सदन'
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची

भारतीय ईसाई विवाह कानून

हर विवाह कानून के अनुसार होना चाहिए। *ईसाई धर्म के लोगों का अपना निजी कानून है।* इस कानून का नाम है **"भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872"।** यह कानून हमें यह बताता है कि इसमें कौन–कौन लोग विवाह कर सकते हैं और विवाह कानूनन सही कब होता है।

ईसाई विवाह अधिनियम के अनुसार कौन–कौन विवाह कर सकते हैं ?

❖ जो व्यक्ति *ईसाई धर्म को मानते* हैं वे इस कानून के मुताबिक विवाह कर सकते हैं।

यदि शादी करने वाले दोनों व्यक्ति ईसाई नहीं हैं तो क्या वे इस कानून के अनुसार विवाह कर सकते हैं ?

हाँ! इस कानून के मुताबिक *किसी एक का ईसाई होना जरूरी है।*

यदि दो व्यक्ति अलग–अलग रीति–रिवाज या धर्म मानते हों और इस कानून से हटकर विवाह करना चाहते हों, तो उन्हें क्या करना चाहिए ?

ऐसी स्थिति के लिए एक कानून बनाया गया है, जिसका

नाम है ''**विशेष विवाह अधिनियम, 1954''।** इसके अनुसार विवाह सरकार द्वारा नियुक्त अफसर द्वारा किया जाता है। यह विवाह कानूनन मान्य और वैध होगा।

ईसाई विवाह कानून :

ईसाई कानून के अनुसार नीचे दिए हुए तरीकों से विवाह किया जा सकता है :

- उस व्यक्ति द्वारा जिसे *चर्च ने विवाह सम्पन्न करने के लिए नियुक्त किया हो या जो पादरी या धर्म–पुरोहित हो।*

- उस व्यक्ति द्वारा जो *ईसाई विवाह रजिस्ट्रार हो।* इसकी नियुक्ति सरकार करती है।

- उस व्यक्ति द्वारा *जिसे विवाह का सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र देने का लाईसेन्स* दिया गया हो।

- *सर्टिफिकेट द्वारा शादी केवल भारतीय मूल के ईसाईयों की हो सकती है।* यदि उनमें से एक भी विदेशी है तो ऐसी शादी नहीं हो सकती। भारतीय ईसाई यदि रोमन कैथलिक है तो उनकी शादी सर्टिफिकेट से नहीं हो सकती।

पादरी द्वारा विवाह।

विवाह की शर्तें

ईसाई विवाह को कानूनन सही होने के लिए कुछ शर्तें हैं। ये हैं :–

- ❖ *वर की उम्र कम से कम 21 साल और कन्या की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।*
- ❖ विवाह के समय *वर या कन्या दोनों के कोई जीवित पत्नी या पति नहीं होने चाहिए।* तलाक शुदा व्यक्ति या जिसके जोड़े की मृत्यु हो चुकी हो दोबारा विवाह कर सकते हैं।
- ❖ *लड़का यदि 21 साल का न हो तो उसके पिता की सहमति आवश्यक होगी।*

शादी के लिये कुछ और बातें होनी जरूरी हैं। इन बातों के न होने से भी शादी रद्द हो सकती है। यानि, कानून उसे न होने के बराबर मानेगा।

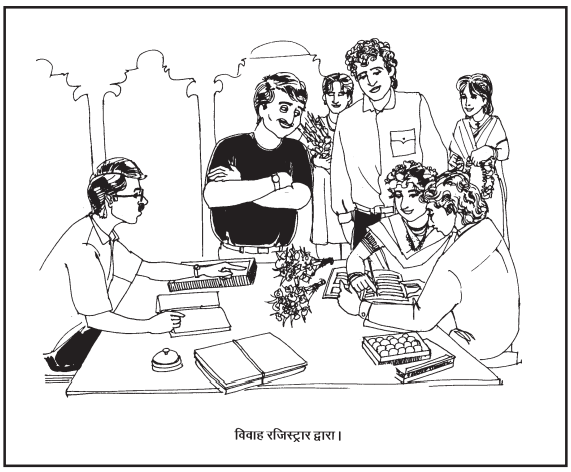

विवाह रजिस्ट्रार द्वारा।

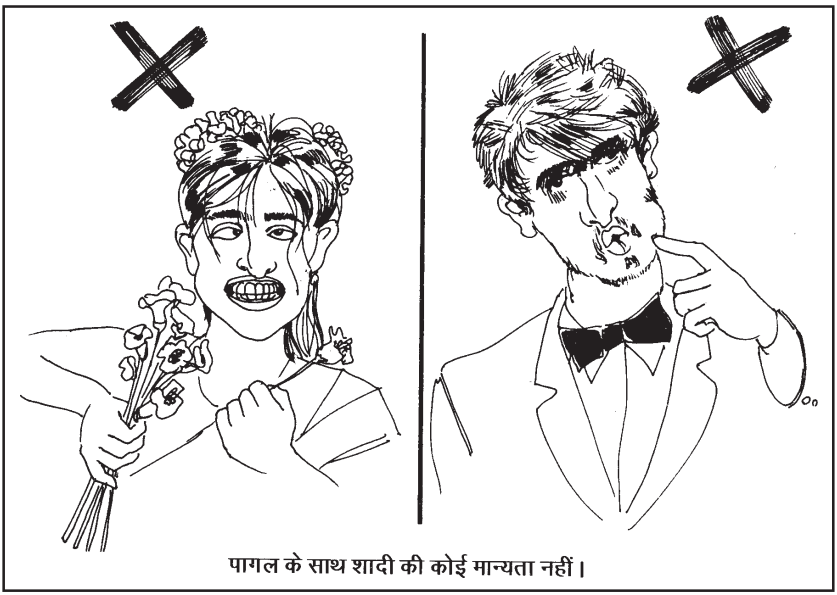

पागल के साथ शादी की कोई मान्यता नहीं।

❖ *वर और कन्या दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ्य होने चाहियें।*

किसी पागल व्यक्ति की शादी के लिये कानून में मनाही है। इसलिए कि ऐसे व्यक्ति विवाहित जीवन नहीं निभा सकते।

कई बार वर और वधू एक दूसरे को विवाह के बाद ही देखते हैं। किसी स्त्री का विवाह अगर किसी पागल से हो तो वह अदालत में जाकर अपना विवाह रद्द करवा सकती है।

यदि शादी के बाद किसी स्त्री का पति पागल हो जाता है तब भी अदालत विवाह रद्द कर सकती है।

मेरी के माता–पिता ने मेरी की शादी जेकब के साथ तय कर दी। शादी के बाद मेरी को पता चला कि जेकब पागल है।

जेकब को यह भी समझ नहीं थी कि उसकी शादी हुई है। मेरी अपने माता–पिता के यहाँ लौट आयी। गाँव वालों का कहना था कि मेरी का जेकब के साथ रहना जरूरी है। मेरी एक समाज सेविका के पास गयी जिसकी सहायता से उसने अदालत में मुकदमा दायर किया। अदालत ने मेरी की शादी रद्द कर दी, क्योंकि जेकब शादी के समय पागल था। इसलिए उसका विवाह न होने के बराबर था। मेरी उस विवाह से मुक्त है। वह अपनी जिन्दगी ऐसे जी सकती है जैसे कि उसका विवाह हुआ ही नहीं था।

- *पति के नामर्द होने के कारण* शादी परिपूर्ण न हो तो पत्नी अदालत से विवाह को रद्द या शून्य घोषित करने की मांग कर सकती है।

- *पति और पत्नी नजदीकी रिश्तेदार नहीं होने चाहिये,* जैसे कि भाई–बहिन, माँ–बेटा। नजदीकी रिश्तेदारों के बीच विवाह करना कानून के खिलाफ है।

- *शादी धोखे या दबाव से हुई हो,* तो उसे रद्द किया जा सकता है।

अगर किसी स्त्री पर कोई दबाव डालकर या जबरदस्ती से शादी करता है तो अदालत उस शादी को रद्द कर सकती है।

सूजन की शादी पीटर के साथ तय हो गयी। पीटर के माता–पिता ने बताया कि वह उनका बेटा है और मैट्रिक पास है।

शादी के बाद सूजन को पता चला कि पीटर नाजायज औलाद है और अनपढ़ भी। अदालत ने सूजन का विवाह शून्य घोषित कर दिया क्योंकि वह विवाह धोखे से हुआ था।

यदि वर की उम्र, नौकरी या किसी गम्भीर बीमारी को आपसे छिपाया जाये या गलत बताई जाये, तो यह माना जाएगा कि शादी के लिये आपकी मंजूरी धोखे से ली गयी है। ऐसे हालात में अदालत विवाह को रद्द या शून्य घोषित कर सकती है। लेकिन आपको छल या धोखा पता लगने पर फौरन अदालत जाना होगा।

विवाह का पंजीकरण

आप किसी भी रस्म से, या फिर विशेष विवाह कानून से विवाह करें। फिर भी आपके विवाह का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) हो सकता है। विवाह करने वाले दोनों व्यक्तियों को मिल कर, विवाह अधिकारी को एक अर्जी देनी होगी। अर्जी मिलने पर विवाह अधिकारी शादी की किताब में शादी के बारे में लिखेंगे और उसका एक प्रमाण–पत्र भी देंगे।

विवाह का पंजीकरण विवाह के बाद कभी भी करवाया जा सकता है। हाँ, इसके लिये निम्न शर्तें पूरी होनी चाहियें :–

- ❖ पति–पत्नी ने किसी भी रस्म से विवाह किया हो, और तब से वे पति–पत्नी की तरह रह रहे हों।
- ❖ दोनों में से किसी के कोई और जीवित पति या पत्नी न हों।
- ❖ पंजीकरण के समय दोनों में से कोई पागल या मानसिक रूप से दुर्बल न हों।
- ❖ दोनों व्यक्ति कम से कम 21 साल के हो चुके हों।
- ❖ दोनों व्यक्ति करीबी रिश्तेदार न हों।
- ❖ दोनों व्यक्ति विवाह अधिकारी के कार्यालय के जिले में कम से कम 30 दिन से रह रहे हों।

बाल विवाह – कानूनी अपराध

कम उम्र के बच्चों की शादी कर देने से उनके स्वास्थ्य, मानसिक विकास और खुशहाल जीवन पर असर पड़ता है। कम उम्र में शादी करने से पूरे समाज में पिछड़ापन आता है। इसीलिए कानून में शादी करने की भी एक उम्र तय की गई है। इस उम्र से कम उम्र की हुई शादी को बाल विवाह कहते हैं।

बाल विवाह क्या है ?

अगर शादी करने वाली लड़की की उम्र 18 साल से कम हो, या लड़के की उम्र 21 साल से कम हो, वह बाल विवाह कहलाएगा। ऐसी शादी की कानून में मनाही है। ऐसी किसी शादी के कई परिणाम हो सकते हैं :

बाल विवाह कानूनी अपराध है।

- 18 साल से अधिक उम्र का लड़का अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करता है तो उसे दो साल तक की कड़ी कैद या एक लाख रूपये तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएँ हो सकती हैं।
- शादी करने वाले जोड़े में से जो भी बाल हो, शादी को कोर्ट से रद्द (अमान्य या शून्य) घोषित करवा सकता है। शादी के बाद कभी भी कोर्ट में यह अर्जी दी जा सकती है, पर बालिग हो जाने के दो साल बाद नहीं।
- जो भी बाल विवाह सम्पन्न करे या करवाए जैसे – पंडित, मौलवी, माता–पिता, रिश्तेदार, दोस्त, इत्यादि, उसे दो साल तक की कड़ी सजा या एक लाख रूपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- जिस व्यक्ति की देखरेख में बच्चा है, यदि बाल विवाह करवाता है– चाहे वह माता–पिता, अभिभावक या कोई और उसे दो साल तक की कड़ी सजा या एक लाख रूपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- जो कोई व्यक्ति बाल विवाह को किसी तरह का बढ़ावा देता है, या जानबूझकर लापरवाही से उसे रोकता नहीं, जो बाल विवाह में शामिल हो या बाल विवाह की रस्मों में उपस्थित हो, उसे दो साल तक की कड़ी सजा या एक लाख रूपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

इस कानून में किसी महिला को जेल की सजा नहीं दी जा सकती, केवल जुर्माना हो सकता है।

- अगर 18 साल से ज्यादा उम्र का लड़का 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करता है तो उसे दो साल तक की कड़ी सजा या एक लाख रूपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- बाल विवाह को शून्य घोषित करने की अर्जी उसी जिला अदालत में की जाएगी जहाँ तलाक की अर्जी दी जा सकती है।

बाल विवाह कैसे रोका जा सकता है ?

- कोई भी व्यक्ति जिसे बाल विवाह की जानकारी हो, अपने इलाके के मेट्रोपोलीटन मैजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मैजिस्ट्रेट को सूचना दे सकते हैं। यह फौजदारी कोर्ट है जो शादी को रोकने का आदेश दे सकता है।
- जिला के कलेक्टर/डी.एम. भी बाल विवाह को रोकने के लिए कोई कदम उठा सकते हैं।
- यह जानकारी थाने में भी दी जा सकती है।
- रोकने के आदेश के बावजूद सम्पन्न की गई शादी शून्य होगी यानि कानून की नजर में शादी नहीं मानी जाएगी।

बाल विवाह को रोकने के आदेश दिए जाने के बाद भी अगर कोई बाद विवाह करवाता है तो उसे दो साल तक की साधारण या कड़ी कैद या एक लाख रूपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

- ❖ किसी नाबालिग की शादी उसका अपहरण करके, उसे बहला–फुसला कर या जोर–जबरदस्ती से कहीं ले जाकर या शादी के लिए या शादी के रस्म के बहाने बेचकर या अनैतिक काम के लिए की जाए, तो ऐसी शादी शून्य मानी जाएगी।

सरकार द्वारा ''बाल विवाह निषेध अधिकारी'' नियुक्त किए जाएंगे जो बाल विवाह को रोकने के कदम उठाएंगे।

समाज के किसी व्यक्ति जैसे पंचायत सदस्य, कोई अधिकारी या गैर सरकारी संस्था के सदस्य को बाल विवाह निषेध अधिकारी की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।

दूसरी शादी – कानूनी अपराध

पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना कानूनी अपराध है।

कई पुरूष एक पत्नी के होते दोबारा शादी कर लेते हैं। कभी– कभी वह पत्नी की 'सहमति' से शादी करते हैं।

जॉन और ऐना की कोई सन्तान नहीं थी। जॉन ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। ऐना यह बिल्कुल नहीं चाहती थी पर दबाव में आकर वह मान गई। जॉन ने हेलेना से शादी कर ली। हेलेना को एक लड़की पैदा हुई। एक साल बाद जॉन ने हेलेना को भी घर से निकाल दिया। कहने लगा, कि उसने लड़के के लिये हेलेना से शादी की थी।

कई औरतों के साथ इस तरह का सुलूक होता है।

कानून क्या कहता है ?

- ❖ पत्नी के जीते जी दूसरी शादी करना कानूनी अपराध है। पहली पत्नी चाहे तो पति के खिलाफ थाने में या मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकती है। ऐसे पति को सात साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। यदि वह सरकारी नौकरी करता हो, तो नौकरी से निकाल दिया जायेगा।
- ❖ ऐसी दूसरी शादी कानून में शादी नहीं मानी जाती।

- ❖ पत्नी की 'सहमति' से की गई दूसरी शादी भी गैर–कानूनी है।
- ❖ दूसरी पत्नी को वास्तव में पत्नी का कोई हक कभी नहीं मिलेगा। उसे न तो खर्चा माँगने का हक होगा, न ही पति की संपति में कोई अधिकार मिलेगा।
- ❖ हाँ, अगर पहली पत्नी की मौजूदगी दूसरी पत्नी से छिपाई गई हो, तो दूसरी पत्नी पति के खिलाफ धोखे का मुकदमा कर सकती है। वह पति से मुआवजा लेने के लिये भी मुकदमा कर सकती है।

ऐसी दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चों को पिता की संपति में वह सभी हक मिलेंगे जो कि जायज औलाद को मिलते हैं।

तलाक

विवाह अगर कानूनन मान्य और वैध भी हो, तो भी परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। कई बार पति–पत्नी के बीच ऐसी दीवारें खड़ी हो जाती हैं, कि साथ रहना मुश्किल हो जाता है। उसका उपाय क्या है ? आप अदालत में जाकर तलाक ले सकती हैं। *तलाक लेने से शादी का बन्धन खत्म हो जाता है।* ईसाईयों का तलाक **''विवाह–विच्छेद अधिनियम 1869''** नाम के कानून के अन्तर्गत होता है।

ईसाई स्त्री किन–किन आधारों पर तलाक दे सकती है ?

- ***क्रूरता :*** *यदि पति पत्नी के साथ दुर्व्यवहार या अत्याचार करे* तो पत्नी तलाक ले सकती है। क्रूरता शारीरिक और मानसिक हो सकती है जैसे पत्नी को पीटना, ताने देना, दहेज के लिए साना गैरवफादारी का इल्जाम लगाना आदि।

- ***धर्म बदलना :*** यदि पति ने अपना धर्म त्यागकर दूसरा धर्म अपनाया हो तो पत्नी इस आधार पर तलाक ले सकती है।

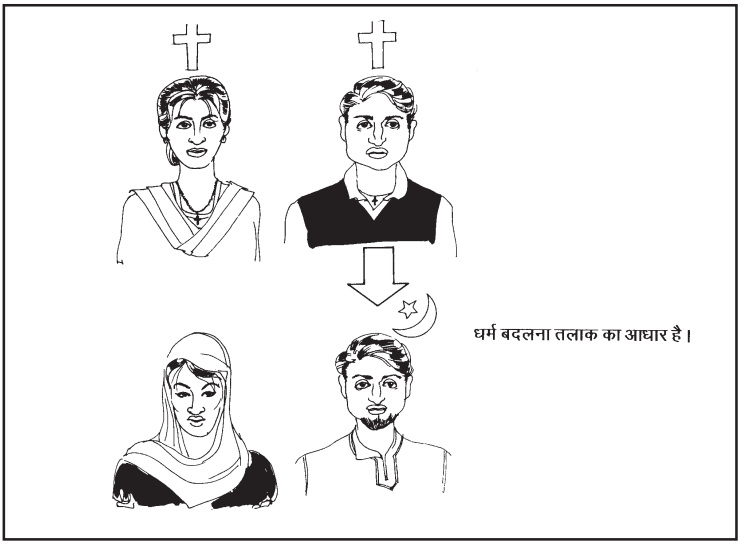

❖ ***व्यभिचार :*** शादी हो जाने के बाद पति का *किसी अन्य स्त्री के साथ शारीरिक सम्बन्ध जोड़ना,* इसी को व्यभिचार कहते हैं। यदि पति व्यभिचार का दोषी हो ता पत्नी तलाक ले सकती है।

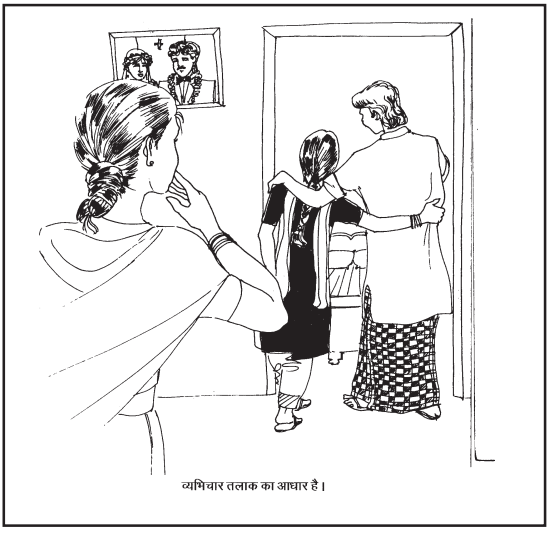

मार्था और जोसफ दम्पति हैं। शादी के कुछ ही दिन बाद जोसफ मार्था को पीटने लगा और दहेज के लिए तंग करने लगा। उसने मार्था का घर से बाहर जाना बन्द करवा दिया। मार्था से बरदाश्त नहीं हुआ और उसने अदालत में तलाक की अर्जी दे दी। अदालत ने मार्था को तलाक दे दिया क्योंकि जोसफ क्रूरता का दोषी था।

- ***असाध्य पागलपन :*** यदि पति दो साल से असाध्य (लाइलाज) पागलपन का शिकार हो, तो पत्नी तलाक ले सकती है।

- ***परित्याग :*** *बिना किसी कारण पति या पत्नी के अलग रहने को परित्याग कहते हैं।* लेकिन तलाक लेने के लिए यह जरूरी है कि पति ने अपनी पत्नी को दो साल या अधिक समय से छोड़ा हुआ हो।

लीला और एन्थोनी की शादी हुए तीन साल हो चुके हैं। शादी के एक साल बाद एन्थोनी ने बिना किसी वजह लीला को छोड़ दिया।

लीला अदालत में तलाक की अर्जी दे सकती है क्योंकि एन्थोनी परित्याग का दोषी है।

- ***पति बलात्कार या बदकारी का दोषी हो :*** शादी के बाद यदि किसी का *पति बलात्कार या बदकारी का दोषी हो* तो उसकी पत्नी इस आधार पर तलाक ले सकती है।

- ***कोढ़ :*** यदि पति को दो साल से भयानक और लाइलाज कोढ़ का रोग हो तो पत्नी तलाक ले सकती है।
- ***सात साल तक लापता रहना :*** यदि पति साल या उससे अधिक समय तक लापता हो, तो पत्नी तलाक ले सकती है।
- ***रतिज रोग :*** यदि पति को रतिज रोग हो तो पत्नी तलाक ले सकती है।
- यदि पति विवाह के बाद संभोग करने से जानबूझकर इन्कार करे और इस वजह से शादी परिपूर्ण ना हुई हो।

पति–पत्नी के समझौते से तलाक

ऐसे तलाक के लिए अदालत को कोई कारण बताना जरूरी नहीं है। हाँ, इसमें कुछ बातें जरूर है :

- *पति–पत्नी कम से कम एक साल से अलग रहे हों।*
- *पति–पत्नी दोनों सहमत हों कि उनका साथ रहना अब संभव नहीं है।*
- *पति या पत्नी पर यह अर्जी देने के लिए दबाव नहीं डाला गया हो।*
- *इसके लिये पति–पत्नी को एक साथ कोर्ट में तलाक की अर्जी देनी होगी। अर्जी में कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती।*

- ❖ *उस अर्जी पर 6 महीनों तक कोर्ट कोई कार्यवाही नहीं करेगी। यह इसलिये कि पति–पत्नी को समझौते का एक और मौका मिल सके।*
- ❖ *कम से कम 6 महीने बीत जाने पर कोर्ट पति–पत्नी से पूछेगी कि वह तलाक चाहते हैं या नहीं। यदि वह चाहते हों, तो तुरन्त तलाक की अर्जी मंजूर हो जायेगी।*

विवाहित जीवन के अधिकारों की प्रत्यास्थापना

विवाहित जीवन में पति और पत्नी के कुछ कर्तव्य होते हैं। पति–पत्नी के बीच शारीरिक सम्बन्ध होने चाहिए। कई बार पति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते।

प्रेमा और टॉम दम्पति हैं। एक साल बाद टॉम ने प्रेमा से बात करना छोड़ दिया। उन दोनों के बीच कोई शारीरिक सम्बन्ध नहीं रहे। थोड़े दिन बाद टॉम ने घर छोड़ दिया। प्रेमा अकेली पड़ गयी। उसने अदालत का सहारा लिया। अदालत ने टॉम को यह आदेश दिया कि वह घर लौट जाये और अपने विवाहित कर्तव्य निभाये। इसे विवाहित अधिकारों की प्रत्यास्थापना कहते हैं।

अदालत ने ऐसा क्यों किया ?

- ❖ टॉम ने प्रेमा के प्रति *विवाहित कर्तव्य* थे।
- ❖ प्रेमा ने ऐसी *कोई गलती नहीं की जिसके कारण* टॉम उसे छोड़कर चला जाए।

यदि टॉम घर लौटने से मना कर दे तो क्या अदालत उसे मजबूर कर सकती है ?

नहीं! कोई भी पति और पत्नी को साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी स्थिति में अदालत पति की जमीन जायदाद जब्त कर सकती है।

यदि पत्नी अपने पति को छोड़ दे तो क्या अदालत उसे भी वापस जाने के लिए आदेश दे सकती है ?

नहीं! अदालत उसे मजबूर नहीं कर सकती। पत्नी को भी पति के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

अगर अदालत पति को दाम्पत्य जीवन निभाने का आदेश देती है और वह दो साल तक उसका पालन नहीं करता है तो पत्नी इस आधार पर तलाक ले सकती है।

विशेष विवाह कानून

धार्मिक रीति रिवाजों से तो विवाह हो ही सकता है। परन्तु यदि कोई इन रीति रिवाजों से हटकर विवाह करना चाहता हो, तो वह क्या करे ? या फिर दो अलग–अलग धर्म के लोग, धर्म बदले बिना विवाह करना चाहते हों, तो वे विवाह कैसे करें ? ऐसी स्थितियों के लिए एक अलग कानून है जिसका नाम है **''विशेष विवाह अधिनियम, 1954''**।

इस कानून के अनुसार विवाह कौन कर सकता है ?

कोई भी दो व्यक्ति इस कानून के अनुसार विवाह कर सकते हैं। इस प्रकार के विवाह के लिए व्यक्ति के निजी धर्म का कोई मायने नहीं।

आशा और अरूण हिन्दू धर्म को मानते हैं। वे दोनों विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार विवाह कर सकते हैं।

गोपी हिन्दू धर्म को मानता है और सलमा का मजहब इस्लाम है। वे दोनों विशेष विवाह कानून के अन्तर्गत विवाह कर सकते हैं।

जफर और सबीहा दोनों मुसलमान हैं। वे दोनों

चाहें तो इस कानून के मुताबिक शादी कर सकते हैं।

कैथरीन और जोजफ ईसाई धर्म को मानते हैं। उनकी शादी इस कानून के मुताबिक हो सकती है।

रूही मुसलमान है और पीटर ईसाई है। वे दोनों इस कानून के अन्तर्गत विवाह कर सकते हैं।

राकेश एक हिन्दू है। वह एक ईसाई लड़की प्रेमा से शादी करना चाहता है। राकेश और प्रेमा भी बिना अपना धर्म त्यागे इस विशेष कानून के अनुसार शादी कर सकते हैं।

जो दो व्यक्ति इस कानून के अन्तर्गत विवाह करना चाहते हों, उन्हें निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी :

- *दोनों में से कोई भी शादीशुदा न हो।* यानि, एक जीवित पत्नी अथवा एक जीवित पति के होते हुए दूसरी शादी नहीं रचाई जा सकती। हाँ, विधवा, विधुर या तलाकशुदा व्यक्ति इस कानून में शादी जरूर कर सकते हैं।

- *दोनों में से कोई भी पागलपन के कारण विवाह के लिए सहमति या रजामन्दी देने में असमर्थ न हो।*

- *दोनों में से कोई भी ऐसी दिमागी बीमारी का शिकार न हो,* जिससे कि वह शादी के लिए सहमति तो दे सके, परन्तु शादी निभाने के या परिवार बढ़ाने के काबिल न हो

- *दोनों में से किसी को असाध्य पागलपन न हो।*

- *शादी करने वाले पुरूष की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिये और महिला की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।*

- *शादी करने वाले व्यक्ति एक दूसरे के नजदीकी रिश्तेदार नहीं होने चाहिये,* जैसे कि माता, पिता, भाई, बहन, भांजा, भांजी, भतीजी, भतीजा, नानी, दादी इत्यादि। जिन लोगों से विवाह नहीं किया जा सकता, उनकी सूची इस कानून में दी गई है।

विशेष विवाह किस तरह सम्पन्न होता है ?

विशेष विवाह सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी द्वारा सम्पन्न किया जाता है। इन्हें 'विवाह अधिकारी' कहते हैं और इनका कार्यालय आमतौर पर जिला की कचहरी ('डिस्ट्रिक्ट कोर्ट') में होता है।

विवाह किस जिले में सम्पन्न हो सकता है ?

जिस जिले में विवाह करने वाले व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति विवाह की सूचना की तारीख से पहले कम से कम 30 दिन से रह रहा हो, वहाँ विवाह हो सकता है।

इस प्रकार के विवाह के लिए निम्न कदम उठाए जाते हैं :

- *विवाह करने के इरादे की सूचना*

  विवाह करने वाले व्यक्ति अपने इस इरादे की लिखित सूचना देंगे। इस सूचना का एक फार्म मिलता है। यह फार्म भर कर, विवाह अधिकारी को देना होगा। फार्म में अपने नाम, पता, आयु, व्यवसाय, इत्यादि जरूरी सूचनाएँ लिखनी होंगी।

- सूचना मिलने पर, *विवाह अधिकारी अपनी किताब में यह सूचना दर्ज करेंगे फिर उस सूचना को प्रसारित करेंगे।* यानि सूचना को अपने कार्यालय के किसी मुख्य स्थान पर लगायेंगे।

- *सूचना के प्रसारण के 30 दिन बाद ही विवाह सम्पन्न किया जायेगा।* यह 30 दिन का समय इसलिये दिया जाता है, कि कोई व्यक्ति चाहे, तो विवाह की शर्तें पूरी न

होने का दावा कर सकता है। जैसे, विवाह करने वालों की उम्र 21 या 18 साल से कम है, या उनकी पहले शादी हो चुकी है, इत्यादि।

यदि ऐसा कोई दावा नहीं किया जाता तो 30 दिन के बाद विवाह सम्पन्न किया जायेगा।

- *तीस दिनों का समय पूरा होने के बाद* प्रार्थियों को *दो महीने के अन्दर शादी करनी पड़ेगी* अथवा उन्हें नया नोटिस देकर पूरी कार्यवाही दुबारा करनी पड़ेगी।

- विवाह सम्पन्न होने के पहले *दोनों व्यक्तियों को एक फार्म में घोषणा करनी होगी कि वह विवाह की सब शर्तें पूरी करते हैं।* गलत घोषणा देने सजा व जुर्माना हो सकता है।

- *विवाह का स्थान विवाह अधिकारी के कार्यालय में हो सकता है।* विवाह अधिकारी को अर्जी देकर और कुछ शुल्क देकर, किसी और स्थान पर या घर पर भी विवाह किया जा सकता है। विवाह के समय तीन गवाहों का होना जरूरी है। विवाह करने वाले चाहें तो किसी भी प्रकार की रस्म कर सकते हैं। परन्तु उस रस्म के साथ साथ ये शब्द कहने आवश्यक हैं ''मैं (अपना नाम), आप

(पुरूष या महिला का नाम) को अपना/अपनी कानूनन पति/पत्नी मानती/मानता हूँ।''

यह शब्द बोलने के बाद विवाह सम्पन्न हो जाता है और विवाह अधिकारी इसे अपनी किताब में लिख लेते हैं। विवाह करने वाले व्यक्ति, और तीनों गवाह उस किताब में हस्ताक्षर करेंगे।

इस प्रकार विवाह करने से क्या लाभ हो सकता है ?

इस प्रकार के विवाह से कई लाभ हो सकते हैं, जैसे कि :

- विवाह सरल तरीके से हो सकता है।
- विवाह सरकारी अधिकारी द्वारा किया जाता है और उनकी किताब में लिखा जाता है। विवाह का प्रमाण पत्र (मैरिज सर्टिफिकेट) भी मिलता है। इसलिये बाद में ऐसे विवाह को कोई भी पक्ष नकार नहीं सकता। शादी का प्रमाण पत्र शादी का पक्का सबूत होता है।
- दो अलग–अलग धर्मों के व्यक्ति बिना अपने धर्म के बदले विवाह कर सकते हैं।
- विशेष विवाह कानून के अनुसार शादी करने से सभी

व्यक्तियों को, चाहे वे किसी भी धर्म को मानते हों, एक ही तरह के तलाक के आधार मिलते हैं।

विशेष विवाह कानून में कौन–कौन से तलाक के आधार मिलते हैं ?

इस कानून में निम्न तलाक के आधार मिलते हैं :

- *व्यभिचार, या शादी के बाद किसी अन्य व्यक्ति से शारीरिक सम्बन्ध जोड़ना।*
- *दो साल तक लगातार परित्याग।*
- *किसी अपराध के लिये सात साल या अधिक की सजा काटना।*
- *क्रूरता यानि शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार*
- *पागलपन या अन्य किस्म की मानसिक बीमारी*
- *छूत से होने वाले रतिरोग*
- *कोढ़*
- *सात साल तक लापता होना*

- *पति शादी के बाद बलात्कार या बदकारी का अपराधी हो।*

- *कोर्ट ने पति को खर्चा–पानी देने का आदेश दिया हो, और उस आदेश के बाद एक साल से अधिक समय से पति–पत्नी अलग रह रहे हों।*

- *आपसी समझौते से तलाक,* यानि, जहाँ पति–पत्नी दोनों मिल के अर्जी दें कि वे एक साल से ऊपर साथ नहीं रहे और वे दोनों शादी को खत्म करना चाहते हैं। इसमें कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती।

खर्चे–पानी की व्यवस्था

हमारे समाज में अधिकांश महिलायें खर्चे पानी के लिए विवाह से पहले अपने पिता पर और विवाह के बाद अपने पति पर निर्भर रहती हैं। अगर स्त्री अपने पति से तलाक लेती है तो प्रश्न यह उठता है कि उसका खर्चा पानी कौन देगा ? असल में इसी मुद्दे को लेकर बहुत सी महिलायें न चाहते हुए भी अपने पति साथ दुःखी होकर विवाहित जीवन बिताना जारी रखती है।

कुछ आदमी अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं या तलाक दे देते हैं। कुछ पति साथ रहते हुए भी पत्नी और बच्चों को खर्चा–पानी नहीं देते। *इन स्थितियों में स्त्री बेसहारा या मजबूर न बन जाये इसके लिए भी कानून में व्यवस्था की गयी है। तलाकशुदा स्त्री को भी अपने पति से खर्चा–पानी प्राप्त करने का अधिकार है।*

अदालत आदेश दे सकती है कि पति तलाकशुदा पत्नी को खर्चा पानी दे।

खर्चा–पानी कौन देगा ?

तलाक देने वाली अदालत आदेश जारी करगी कि पति पत्नी को खर्चे–पानी कर रकम देगा।

खर्चा कितना और किस हिसाब से दिया जाता है ?

खर्चा देने के लिये अदालत इन बातों को ध्यान में रखती है :

- *औरत अपनी आवश्यकताएँ स्वयं पूरी करने में असमर्थ है*
- *आदमी की आमदनी या जायदाद कितनी है,*
- *औरत की आवश्यकताएँ क्या हैं*

परिस्थितियों को देखते हुए अदालत खर्चे की रकम इकठ्ठे या मासिक रूप से देने का आदेश दे सकती है।

यह खर्चा कब तक मिलता है ?

- *जब तक खर्चा पाने वाला जिन्दा रहता है।*

अगर कोई स्त्री खर्चा पाने के बाद दोबारा शादी कर ले, तो क्या तब भी उसे खर्चा मिलता रहेगा ?

नहीं! उस हालत में खर्चा देने वाला अदालत की मंजूरी लेकर खर्चा देना बन्द कर सकता है। *यदि तलाकशुदा स्त्री किसी और से शारीरिक सम्बन्ध रखती है, तो भी खर्चा बन्द हो सकता है।* अगर स्त्री अपने बच्चों का पालन–पोषण कर रही हो, तो उनका खर्चा पति को हर हालत में देना पड़ेगा।

तलाकशुदा स्त्री को खर्च की रकम कौन–सी अदालत दिलवायेगी ?

खर्चा–पानी के लिये दीवानी (सिविल) अदालत में अर्जी देनी होगी। इसके अलावा या इसके साथ–साथ फौजदारी अदालत में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत भी अर्जी दी जा सकती है। अगर कोई महिला अपना खर्च उठाने में असमर्थ हो तो वह फौजदारी कानून में खर्चे की अर्जी दे सकती है। यह खर्चा पति से, पिता से या अपने बच्चों से मांगा जा सकता है। अर्जी देने पर अदालत आदेश देगी कि उस महिला को हर महीने खर्चे के रूप में कुछ पैसे दिए जाएँ।

पहले यह खर्चे पानी की रकम ज्यादा से ज्यादा रू. 500/– प्रतिमाह थी लेकिन अब सरकार ने इस उच्चतम सीमा को हटा दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के एक फैसले के अनुसार किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा नोटिस जारी होने के 60 दिन के अंदर अग्रिम खर्चा पानी देना शुरू हो जाना चाहिये।

बच्चों की अभिरक्षा

तलाक के बाद बच्चों का क्या होगा ?

तलाक के बाद पति–पत्नी अलग–अलग रहते हैं। इसलिये उनके बच्चों के सिलसिले में कुछ समस्यायें उठती हैं। बच्चे किसके पास रहेंगे ? उनका खर्चा–पानी कौन उठायेगा और कब तक?

तलाक के समय स्त्री अदालत को अर्जी दे सकती है कि ये सब बातें भी तय की जायें।

अगर बच्चा नाबालिग है, तो मां को भी कानूनी अधिकार है कि बालिग होने तक बच्चा उसी के पास रहेगा।

नाबालिग बच्चे कौन है ?

- ❖ 16 साल से छोटी उम्र के लड़के
- ❖ 13 साल से छोटी उम्र की लड़की

माँ का अधिकार है कि सात साल तक बच्चा उसी के पास रहे।

❖ 18 से कम उम्र के अविवाहित बच्चे

नाबालिग बच्चे किसके पास रहेंगे इस बात का निर्णय अदालत बच्चों का हित ध्यान में रखते हुए लेगी सभी हालातों को देखकर अदालत तय करेगी कि बच्चा माँ के पास रहेगा या अपने बाप के पास। अदालत यह जानने की कोशिश भी करेगी कि बच्चा खुद किसके पास रहना पसंद करता है और बच्चे का हित किसके पास रहने में है।

बच्चे के हित का मतलब है कि माँ या पिता में से कौन बच्चे की देखभाल बेहतर कर सकता है। इसका मतलब है बच्चे की जिस्मानी जरूरतें पूरी करना जैसे कि खिलाना–पिलाना, स्कूल भेजना वगैरह और बच्चे की मानसिक और भावनात्मक जरूरतें पूरी करना जैसे कि खेलना, प्यार करना, उसके साथ बातें करना। बच्चे की भावनाओं को कौन अच्छी तरह समझ सकता है, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है।

अगर माँ की अपनी कोई आमदनी न हो, तो क्या बच्चा उसको नहीं दिया जायेगा ?

ऐसी बात नहीं है। *बच्चे का हित अगर अपनी माँ के पास रहने में है, तो बच्चा माँ को ही दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में बच्चा चाहे पिता के साथ न रहता हो, तो भी पिता को उसका खर्चा–पानी देना होगा।*

पति अक्सर अदालत से कहते हैं कि बीवी का चरित्र बुरा है इसलिये उसे बच्चा नहीं दिया जाना चाहिये। तो क्या अदालत यह बात मानकर बच्चा माँ को सौंपने से इन्कार करेगी ?

अदालत माँ को बच्चा सौंपने से तभी इन्कार करेगी जब उसे वास्तव में जानकारी मिले कि :–

- *माँ का चरित्र बुरा है,* सिर्फ किसी स्त्री को बुरे चरित्रवाली कहने से उसका चरित्र बुरा नहीं माना जा सकता है। स्त्री अगर किसी पुरूष के साथ दिखाई भी दे तब भी इसका यह मतलब नहीं निकलता कि उसका चरित्र बुरा है या
- *माँ किसी दिमागी रोग की मरीज है,* जिससे कि बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। या
- *अगर और कोई ऐसा कारण हो जिससे बच्चे को हानि पहुँच सकती है, तो भी अदालत बच्चा सौंपने से इन्कार कर सकती है।*

सम्पत्ति का अधिकार

सम्पत्ति का अधिकार

हमारे कानून हमें यह हक देते हैं कि हम अपने लिये, अपने नाम से जायदाद खरीद सकें। आदमियों की तरह ही, औरतों को भी जायदाद का मालिक होने का कह है। कानून के अनुसार :–

- ❖ हर औरत को अपने लिये, अपने नाम से सम्पत्ति खरीदने और रखने का अधिकार है।
- ❖ कोई औरत अपनी सम्पत्ति का जो चाहे कर सकती है – चाहे वह सम्पत्ति उसे मिली हो, या उसकी कमाई की हो।
- ❖ हर औरत को यह हक है कि अपनी कमाई के पैसे वह खुद ले। वह पैसों से जो भी करना चाहे कर सकती है।
- ❖ औरतों को भी यह अधिकार है कि आदमियों की तरह वे भी सम्पत्ति खरीदें या बेचें।
- ❖ औरतों को अपने माता–पिता या दूसरे रिश्तेदारों की सम्पत्ति का हिस्सा भी मिल सकता है। उनको किससे और कितना हिस्सा मिल सकता है यह उनके निजी कानून पर निर्भर करता है। निजी कानून का मतलब है, वह कानून जो किसी के समुदाय पर लागू होता है।

सम्पत्ति में क्या–क्या चीजें शामिल हैं ?

मीता के पिता ने उसकी शादी के समय उसे कुछ सोने की चूड़ियाँ और एक सिलाई की मशीन दी थी। वे चूड़ियाँ और सिलाई की मशीन मीता की सम्पत्ति है।

अमीना एक व्यापारी के यहाँ शालों पर कढ़ाई करती है। उसे हर शाल की कढ़ाई के 50/– रूपये मिलते हैं। अमीना की यह कमाई उसकी सम्पत्ति है।

जसबीर कौर ने नाना ने उसे अपना छोटा सा खेत दान में दिया। वह खेत जसबीर कौर की सम्पत्ति है।

लिली एक मिल में काम करती है। अपनी कमाई से उसने कामगार कालोनी में एक घर खरीदने का फैसला किया। उसके पति डेविड ने कहा, ''यह घर मेरे नाम से होना चाहिये क्योंकि मैं परिवार का मुखिया हूँ।'' लेकिन लिली को अपने नाम से घर लेने का पूरा अधिकार है। वह उसके लिये और उसके बच्चों के लिए सुरक्षा है।

अब हम निजी कानून में जायदाद के अधिकारों को विस्तार से देखेंगे।

ईसाई स्त्रियों के सम्पत्ति के अधिकार

किसी गाँव में एक ईसाई परिवार रहता था जिसका मुखिया जॉन था। एक दिन अचानक जॉन के सीने में दर्द उठा और उसकी मृत्यु हो गयी। जॉन के परिवार में उसकी पत्नी मार्था और तीन लड़कियाँ मेरी, जोसेफीन और डॉरिस थीं। मेरी शादीशुदा थी। जोसेफीन की मृत्यु हो चुकी थी। डॉरिस स्कूल में पढ़ती थी। एक लड़का टॉम भी था। जॉन एक मकान और 15,000/– रूपये नकदी छोड़ गया। उसने उस सम्पत्ति के लिये कोई वसीयत नहीं लिखी थी।

यह जॉन का परिवार है।

जॉन के मरने पर टॉम ने सोचा कि जॉन कि सारी जायदाद पर अब उसी का हक है। उसने अपनी माँ मार्था को इस शर्त पर घर में रहने हो कहा कि वह (मार्था) घर का सारा काम करे और टॉम के बच्चों की देखभाल करें। उसने सोचा कि डॉरिस जब दसवीं कक्षा पास कर लेगी तो वह उसकी भी शादी कर देगा और उस पर भी कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा। मेरी को अपने भाई के इस व्यवहार पर बहुत दुःख हुआ और वह सोचने लगी कि किसी तरह मार्था और डॉरिस की मदद करनी चाहिए।

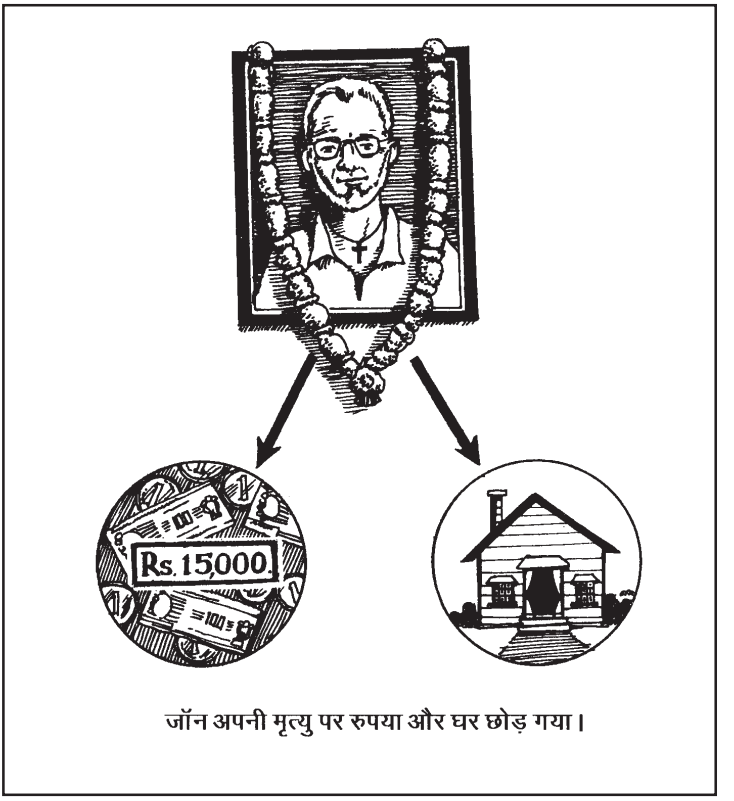

जॉन अपनी मृत्यु पर रुपया और घर छोड़ गया।

मेरी एक वकील के यहाँ काम करती थी जिसका नाम था कल्पना। मेरी ने सारी बातें कल्पना को सुनाई। कल्पना के सुझाव सुनकर मेरी को बड़ा आश्चर्य हुआ।

कल्पना ने बताया कि ईसाईयों के सम्पत्ति का अधिकार **भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925** के तहत आते हैं। इस कानून के अनुसार :

- ❖ एक विधवा ईसाई स्त्री अपने पति की जायदाद में एक तिहाई (1/3) हिस्से की हकदार होती है।

टॉम अपने पिता की सारी जायदाद चाहता है।

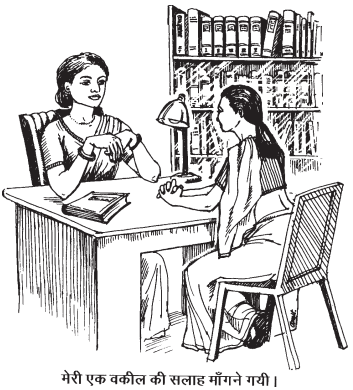

मेरी एक वकील की सलाह माँगने गयी।

इसलिये मार्था को जॉन के मकान का एक तिहाई (1/3) हिस्सा और 5,000/– रूपये मिलने चाहिए।

मार्था को जॉन की जायदाद का एक तिहाई हिस्सा मिलेगा।

❖ उसके अलावा सभी बच्चों को, चाहे वह लड़कें हों या लड़कियाँ, बची हुई जायदाद में से बराबर के हिस्से मिलने चाहियें।

इसलिए जॉन के चारों बच्चे मेरी, टॉम, जोसेफीन और डॉरिस बचे हुए 10,000/– रूपये और मकान के 2/3 हिस्से के बराबर के हकदार हैं।

मेरी ने पूछा, ''पर मैं तो शादी–शुदा हूँ। मुझे हिस्सा कैसे मिलेगा ?''

कल्पना ने समझाया

❖ ''कानून के अनुसार विवाहित और अविवाहित दोनों बच्चों का अपने पिता की सम्पत्ति पर समान अधिकार होता है।''

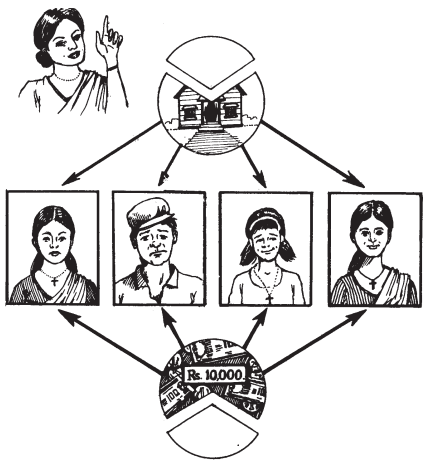

जॉन के सभी बच्चों का बाकी जायदाद में बराबर का हक है।

मेरी ने फिर कहा, ''पर मेरी बहन जोसेफीन को मरे तो 5 साल हो गये। क्या उसका हिस्सा भी रखना पड़ेगा ?

कल्पना ने कहा

- ❖ मरे हुए लड़के या लड़की की सन्तानों को उनका हिस्सा मिलेगा। चूँकि जोसेफीन की दो सन्तानें हैं, कैथरीन और क्रिस, तो दोनों को जोसेफीन के हिस्से का आधा–आधा मिलेगा।

- ❖ अगर पति की मौत के समय पत्नी गर्भवती हो, तो गर्भ में पल रहे बच्चे का भी सम्पति में हिस्सा रहेगा। जो हिस्सा बाकी बच्चों में बांटा जाएगा, उसमें होने वाले बच्चे का भी हिस्सा होगा।

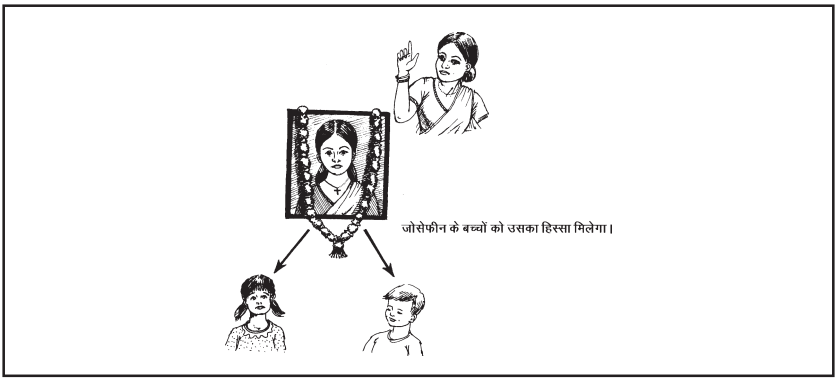

स्त्री को अपने परिवार से मिले गहने उसकी अपनी सम्पत्ति होती है।

मेरी ने कल्पना को बताया कि उसकी माँ की जब शादी हुई थी तब उसके नाना–नानी ने शादी में गहने दिये थे। उसने पूछा, ''क्या उन गहनों के भी हिस्से होंगे ?''

कल्पना ने कहा

- ❖ शादी के वक्त जो भी सामान और उपहार किसी स्त्री को अपने परिवार से मिलते हैं वे उसकी अपनी सम्पति होती है। वह उसी के पास रहेगी, उसका कोई बंटवारा नहीं होगा।
- ❖ यदि कोई सन्तान या सन्तानों के बच्चे न हों तो विधवा को सम्पति का 1/2 हिस्सा मिलेगा।

मेरी ने पूछा, ''जो रूपया मेरी माँ ने अपनी मजदूरी से कमाया था वह भी टॉम लेना चाहता है। क्या यह सही है?''

कल्पना ने कहा

''नहीं। किसी भी स्त्री का अपनी कमाई का रूपया उसका अपना होता है। इसलिये मार्था के उस पैसे पर टॉम का कोई हक नहीं है। मार्था जिसे चाहे अपना रूपया, गहने और अन्य सम्पत्ति

दे सकती है।''

कल्पना ने समझाया कि जब तक जॉन जीवित था। मार्था का उसकी सम्पति पर कोई हक नहीं था। जॉन की सम्पति में मार्था का हक और हिस्सा जॉन के मरने के बाद ही बना है। परन्तु अगर कोई पत्नी अपना खर्च खुद नहीं उठा पाती है तो उसे पति से खर्चा लेने का अधिकार होता है। पति की मृत्यु के बाद उसे बच्चों से खर्चा लेने का अधिकार होता है। किसी औरत का पति या बच्चे उसे खर्चा न दें, तो वह **दंड प्रक्रिया संहिता 1973** नामक कानून की धारा 125 के तहत कोर्ट में खर्चे की अर्जी दे सकती है। कोर्ट पति या बच्चों को आदेश देगी कि उस औरत को खर्चा दिया जाये।

मेरी ने कहा, ''टॉम कहता है कि मेरी शादी के वक्त पिता ने काफी खर्च किया था और उपहार दिये थे। इसलिए मुझे और कुछ मिलने का हक नहीं है।''

कल्पना टॉम के खिलाफ मुकदमा लड़ते हुए।

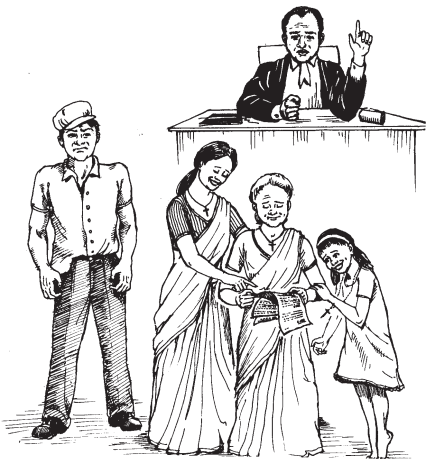

अदालत का निर्णय– ''टॉम अपनी माँ और बहन को नहीं निकाल सकता''– सबको अपना हिस्सा मिला।

इस पर कल्पना ने कहा, ''जॉन ने तुम्हारी शादी में चाहे कितना ही खर्च क्यों न किया हो, सम्पत्ति में तुम्हारा उतना ही हिस्सा है जितना टॉम का है।''

कल्पना की बातें सुनकर मेरी को आश्चर्य और खुशी हुई। उसने गाँव जाकर सारी बातें टॉम को बताई। उस पर टॉम बहुत गुस्सा हुआ और उसने किसी को भी जॉन की सम्पति में से हिस्सा देने से इन्कार कर दिया। उसने सबको घर से निकाल देने की धमकी दी। मेरी ने वापस आकर कल्पना से सलाह ली और कोर्ट में मुकदमा कर दिया। कोर्ट ने वही निर्णय दिया जो कानूनन सही था। यानि सबको अपना–अपना हिस्सा मिला। टॉम अपनी माँ मार्था और बहन डॉरिस को घर से नहीं निकाल पाया।

कोई भी स्त्री अपनी संपति की वसीयत कर सकती है।

वसीयत कैसे लिखें

- ❖ अपना पूरा नाम लिखें।
- ❖ अपने पिता या पति का नाम लिखें।
- ❖ अपना पूरा पता लिखें।
- ❖ अपनी जायदाद के बारे में विस्तार से लिखिये।
- ❖ जिन्हें जायदाद देना चाहती हैं उनका नाम और पता साफ तरीके से लिखिये।
- ❖ यह जरूर लिखिये की वसीयत आप अपनी मर्जी, बिना दबाव के और पूरे होश हवाश में लिख रहीं हैं।
- ❖ वसीयत बनाने की तारीख डालिये।
- ❖ वसीयत पर हस्ताक्षर कीजिये।
- ❖ दो गवाहों के हस्ताक्षर, नाम और पता होना चाहिए।

याद रखिये, वसीयत से सिर्फ व्यक्ति की मृत्यु के बाद जायदाद किसी को मिल सकती है।

केवल वसीयत लिखने से कोई आपकी सम्पति का हकदार नहीं हो जाता।

वसीयत किसी साधारण कागज पर लिखी जा सकती है। इसे लिखने के लिये वकील की जरूरत नहीं है। हाँ, सही ढंग से लिखने के लिये वकील की सहायता ले सकते हैं।

वसीयत को पंजीकृत (रजिस्टर) करवाना जरूरी नहीं। हाँ, पंजीकृत करवाने से वसीयत गुम नहीं हो सकती, न ही गलत हाथों में पड़ सकती है।

'घरेलू हिंसा' से महिलाओं की सुरक्षा

'घरेलू हिंसा' से **महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005** 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। इसके अनुसार :–

- ❖ कोई भी महिला जो 'घरेलू संबंधों' में हिंसा की शिकार हो, वह अदालत से सुरक्षा का आदेश पाने के लिए प्रार्थना कर सकती है।
- ❖ घरेलू संबंधों में यहाँ वे सभी संबंध आते है जिनमें कोई महिला किसी और के साथ रहती हो। जैसे कि शादी के बाद, जन्म से, गोद लेने पर या संयुक्त परिवार में रहने वाले। इनमें वह भी शामिल है, जो कानूनन शादी के बिना ही पति–पत्नी के रूप में साथ रहते हो।

इस प्रकार पत्नी, बेटी, माँ या बिना शादी के साथ रहने वाली महिला मित्र इस कानून के अनुसार अदालत से सुरक्षा का आदेश पाने के लिए प्रार्थना कर सकती है।

'घरेलू हिंसा' किसे कहते हैं ?

हमारे समाज में महिलाओं को ऐसे कई हालातों का सामना करना पड़ता है जिन्हें घरेलू माहौल में 'आम' या 'मामूली' माना जाता है, लेकिन इस कानून में वह 'घरेलू हिंसा' मानी जा सकती है :–

- ❖ मीना का पति उससे अक्सर मार–पीट करता है।
- ❖ शांता की सास उसे रूप रंग पर ताने देती रहती है।

- ❖ नफीसा बानो के बेटे ने उससे सारी जायदाद और पैसे ले लिए हैं और अब उसकी बीमारी का इलाज कराने से भी इन्कार करता है।
- ❖ सुनीता के चाचा उससे छेड़छाड़ करते रहते हैं और उसे अपने पास बैठने को मजबूर करते हैं।
- ❖ यासमीन स्कूल में पढ़ा कर जो भी कमाती है, उसका पति उसके पास नहीं रहने देता।
- ❖ रूपा का भाई अक्सर शराब पीकर उसे धमकाता रहता है कि उसे घर से निकाल देगा, क्योंकि वह घर पर बोझ बनी हुई है।
- ❖ शाहिदा का पति उसे मायके नहीं जाने देता।

ऊपर दिए सभी उदाहरण 'घरेलू हिंसा' माने जा सकते हैं और यह सभी महिलाएँ या उनके लिए कोई और भी अदालत में इसे रोकने के लिए प्रार्थना कर सकता है।

क्या अदालत के दखल देने पर इस प्रकार हिंसा करने वालों को जेल भी हो सकती है ?

गंभीर मामलों में आरोपियों को जेल भी भेजा जा सकता है। यह कानून इसीलिए बनाया गया है कि ऊपर बताए गए माहौल में कोई भी महिला सुखी और सुरक्षित अनुभव नहीं कर सकती। साथ ही यह भी उतना ही सच है कि संबधों को आसानी से तोड़ा भी नहीं जा सकता न ही उसका घर से अलग होना ही

आसान होता है। ऐसे में यह कानून उसके माहौल में सुधार का एक मौका देता है। अदालत हिंसा करने वालों को सुरक्षा आदेश के माध्यम से रोक सकती है। फिर भी अगर हालात में बदलाव नहीं होता तो आगे भी कार्यवाही की जा सकती है।

ध्यान दें :– इस कानून के लागू हो जाने के बाद भी, गंभीर अपराधी हिंसा की शिकार महिला आरोपियों के खिलाफ अपराधी हिंसा का मामला दर्ज करा सकती है। पुलिस उसकी शिकायत दर्ज करने से इस कारण इन्कार नहीं कर सकती कि उसे पहले अदालत से **सुरक्षा के आदेश** की प्रार्थना करनी चाहिए थी।

आरोपियों के विरूद्ध क्या आदेश हो सकते हैं ?

1. *आरोपी/आरोपियों को हिंसा या उत्पीड़न करने वाला व्यवहार तुरंत बंद करने को कहा जा सकता है, साथ ही उनको उकसाने वालों और मदद करने वालों को भी रोकने का आदेश दिया जा सकता है।*

   - ❖ रूही का पति राशिद उसके साथ मार–पीट करता है, क्योंकि उसकी सास हमेशा उसकी शिकायत किया करती है और राशिद को 'उसे वश में रखने' को उकसाती रहती है। ऐसे में अदालत राशिद और उसकी माँ को रूही के साथ ऐसा बर्ताव रोकने का आदेश दे सकती है।
   - ❖ रानी मायके चली आई है, क्योंकि उसका पति रवि

उसे मार–पीट करने की धमकी देता रहता था। अब वह उसके घर (मायके) और जिस फैक्ट्री में वो काम करती है, उसके चक्कर लगाने लगा है। वह उसके आगे–पीछे लगा रहता है और गालियाँ और धमकियाँ देता है। जब लोग उसे रोकते हैं, तो कहता है कि मेरी बीवी है उससे मिलने का मुझे पूरा अधिकार है। जब उसके साले ने उसे रोका तो वह उसे भी धमकियाँ देने लगा।

2. अदालत, आरोपी/आरोपियों को वह घर बेचने से रोक सकती है जहाँ वह महिला रहती हो; उसे घर से निकालने से रोक सकती है। आरोपियों को उस घर या घर के हिस्से में जाने से भी रोका जाय। उस घर में जाने पर रोक लगा सकती है, या फिर उस महिला के रहने के लिए किसी दूसरी जगह का इंतजाम करने का आदेश दे सकती है।

3. आरोप लगाने वाली महिला को बच्चों का संरक्षण दे सकती है।

❖ जाहिरा ने अपने शौहर जलाल का घर छोड़ दिया क्योंकि वह अक्सर उससे मार–पीट करता था। उसने अदालत से गुहार की जिसने उसके पति को मार–पीट से बाज आने का आदेश दिया। कुछ दिन बाद जलाल उनकी बारह साल की बच्ची को स्कूल से ले गया।

ऐसे में अदालत जाहिरा को बच्ची को रखने का हक दे सकती है।

4. हिंसा के आरोपी को उससे हुए किसी भी प्रकार की हानि के लिए मुआवजा, हर्जाना, इलाज का खर्चा और रहने का खर्चा देने का आदेश दे सकती है।

7. शिकायत करने वाली महिला और आरोपी दोनों को काउँसलिंग (सलाह) के लिए भेज सकती है। कोई प्रशिक्षित व्यक्ति उन दोनों को अपनी समस्याओं को समझने और शांति के साथ रहने में उनकी सहायता करे।

महिलाएँ ऐसा आदेश कैसे पा सकती है ?

महिला को 'सुरक्षा अधिकारी' के पास अपनी शिकायत करनी होगी जिसे इस काम के लिए हर जिले में नियुक्त किया जाएगा। वह मामले की जाँच कर अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेगा। तब अदालत शिकायत में आरोपी व्यक्ति को पेश होने का आदेश करेगी।

सुरक्षा अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह महिला की इस मामले में हर प्रकार से मदद करे; और अदालत के आदेशों के पालन को सुनिश्चित करें। अदालत में यह प्रार्थना सीधे भी की जा सकती है; जिसे की प्रपत्र–1 (फार्म–1) में करना होगा।

क्या हिंसा की शिकार महिला को खुद ही शिकायत करनी

होगी और फार्म भरना होगा ?

महिला खुद या कोई दूसरा जिसे हिंसा की जानकारी हो, उसके लिए शिकायत कर सकता है।

यदि आदेश के बाद भी वह अपने गलत व्यवहार को नहीं बदलता तो क्या किया जाएगा ?

आरोपी यदि आदेशों के बाद भी नहीं बदलता तो उसे कैद या जुर्माने की सजा हो सकती है।

'सुरक्षा अधिकारी' के अपनी जिम्मेदारियों का पालन न करने पर उसे भी कैद या जुर्माने की सजा हो सकती है।

प्रकाशक

'न्याय सदन'

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

डोरण्डा, राँची

फोन : 0651–2481520, 2482392 फैक्स : 0651–2482397

ई–मेल : jhalsaranchi@gmail.com

वेबसाइट : http://www.jhalsa.nic.in

स्रोत : नई दिल्ली